



अग्र 2019 : दाष्टवाद की प्रचंड जीत-

डॉ. किशन कछवाहा

दौरान देश की जनता के साथ न्याय नहीं हुआ।

48 साल बाद भाजपा ने

इतिहास रचा, जब एक दल को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला। इसे समाचार पत्रों ने धमाकेदार वापिसी भी कहा है। इस परिवर्तन के माध्यम से जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह देश की सुरक्षा मजबूत हाथों में देखना चाहती है, तथा आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये रिश्तर और मजबूत सरकार की आवश्यकता है। नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रहित में जुटे रहने की अदम्य इच्छा को देश की जनता ने समझा है। जीत और सकारात्मक अभियान के पीछे लगे, भाजपा और संघ के जमीन से जुड़े करोड़ों कार्यकर्ताओं को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। यह उनकी और उनके ही परिश्रम की जीत है।

उत्तराखण्ड, चंडीगढ़, दमन—द्वीप, गुजरात, हरियाणा, लक्ष्मीप, सिक्किम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा आदि डेढ़ दर्जन राज्यों में कांग्रेस अपना खाता खोलने में भी असफल रही है। मध्यप्रदेश में सत्ताधारी दल होने के बावजूद सिर्फ एक सीट जीत सकी है। इसी प्रकार कर्नाटक में भी गठबंधन सरकार होने के बावजूद जद—एस और कांग्रेस का सफाया हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बाद भी राजधानी में उसका सफाया हो गया है।

इसके विपरीत उत्तरप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, गुजरात, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, गोआ, कर्नाटक, दिल्ली, चंडीगढ़ व अरुणाचल प्रदेशों में भाजपा को 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुये हैं।

जम्मू—कश्मीर सहित आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान,

बुमराह करती कर्जी खबरें

अब यह प्रश्न खड़ा हो गया है कि कोई किसी खबर पर भरोसा करे या न करें। एक अध्ययन के अनुसार जब सच्चाई पर आधारित समाचार बड़ी कठिनाई से सके हजार लोगों तक पहुंच पाते हैं, उतनी ही देर में झूठी खबरों को दस हजार लोगों तक पहुंचाने में समाज और देश विरोधी तत्व सफल हो जाते हैं। फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, टिकटाक आदि के माध्यम से यह कार्य प्रभावी ढंग से हो रहा है।

झूठी खबर राजनीति का एक हिस्सा है। राफेल सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावे इसी श्रेणी के हैं। मीडिया भी ऐसी खबरों का उछालने में दिलचस्पी लेता दिखता है।

अगर हमारा मीडिया संगठन जिम्मेदारी ले ले तो झूठी और फर्जी सूचनाओं पर अंकुश

लगाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ भी आगे बढ़ाते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिये कि वह सूचना तथ्यों पर आधारित है या नहीं? सोशल मीडिया में झूठी खबरें इस तरह प्रस्तुत की जाती हैं कि वे सच लगाने लगती हैं। हालांकि सोशल मीडिया की हर खबर झूठी नहीं होती, पर अधिकतर खबरें ऐसी भी होती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता।

झूठ को बार—बार दुहराने से कैसे सच की तरह दिखने लगता है। उसका एक उदाहरण यहां प्रस्तुत है:

आगरा की एक रेली में नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस के एक वादे, जिसमें उसने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, की याद दिलाई थी, लेकिन इसको भी नरेन्द्र मोदी

का वादा सिद्ध कर दिया गया।

आश्चर्य की बात यह है कि सब तब हुआ जब इस देश में मोदी सरकार है। झूठी खबरों की यही ताकत होती है। ऐसी खबरें बगुले को हंस सिद्ध करने की क्षमता रखती है।

—राहुल कौशिक

सोशल मीडिया विशेषज्ञ

झूठा चा बैर्झमान कौन?

सच का गला काटकर झूठ को ही सच की तरह पेश किया जाय। क्या यह अलोकतांत्रिक नहीं है? इस सन् 2019 के लोकसभा चुनाव में झूठ बोलने के कितने तरीके अपनाये गये और उनका जनता पर क्या असर हुआ?

खंडित सत्य या अर्धसत्य या झूठी खबर किस श्रेणी में कौन सी खबर को रखा जाये — इसमें भी भिन्नता हो सकती है। पूरे चुनाव के दौरान राफेल विमान का सौदा

राहुल गांधी के बयानों और उसके कारण मीडिया में प्रसारित होने के कारण छाया रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा बार—बार कहा गया कि (नरेन्द्र मोदी) ने अम्बानी की जेब में 30,000 करोड़ डाल दिये। यह रक्षा सौदे को लेकर भ्रामक बात थी, जो राहुल गांधी द्वारा कही गयी और मीडिया में प्रसारित हुयी। जिस सौदे में आफसेट की पूरी रकम भी 30,000 करोड़ रुपये नहीं है, उसका पूरा हिस्सा अम्बानी की जेब में कैसे चला जायेगा? ऐसा सच के साथ यिलवाड़ एक बार नहीं बार—बार पूरे चुनाव में दौरान हुआ है। अब चुनाव सम्पन्न हो गये हैं—किसे बैर्झमान और झूठा माना जाना चाहिये? इस तरह की झूठी बातें करना और उसे प्रसारित करना लोकतंत्र के बेहतर बनाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।

पश्चिम बंगाल की

पं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुनक मिजाजी कोई नयी बात नहीं है। लेकिन इसके कारण स्वभाव में उग्रता बढ़ने पर माहौल हिंसक बनने लगता है, तब दीदी का व्यवहार चिन्ताजनक हो जाता है। लम्बे समय तक विपक्ष की नेता रहने के कारण ऐसा स्वभाव बन जाता है। लेकिन अब गरीब तो गरीब, सध्यम वर्ग भी उनके इस स्वभाव के कारण नाराज हो चला है।

अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उभार उन्हें नागुबार गुजर रहा है। गत कुछ वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के उग्रवादी रवैये के परिणाम स्वरूप जनता में भरी असंतोष व्याप्त है। तृणमूल कांग्रेस की बढ़ती बाहुबली राजनीति को भाजपा रोक सकती है, इसका अहसास वहां हो चला है। यह भी एक तबके का मानना है कि बीजेपी को पं. बंगाल में बढ़ने से रोकने का सामर्थ्य ममता बनर्जी में ही है।

सन् 2016 में उन्होंने नोटबंदी का विरोध किया था। इस समय कांग्रेस का भी उन्हें समर्थन मिला था। वे राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों में भी दिल्ली आकर शामिल होकर संदेश देती रहीं हैं कि वे विपक्ष के साथ हैं। इनमें उनकी यह सावधानी ध्यान देने लायक रही है कि जिन मामलों में सीधे उनका नेतृत्व रहा हो अन्यथा वे अपने किसी सहयोगी को भेज देती थीं।

उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं रही। यह लालसा उस समय ज्यादा बढ़ गयी जब उनकी पार्टी ने 43 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली। तभी से उन्होंने अपनी पार्टी के अधिल भारतीय स्वरूप को संवारना शुरू कर दिया।

इस तमाम संदर्भों के परिपेक्ष्य में सवाल यह उठता है कि पं. बंगाल में हिंसा क्यों होती है? और इस बार जिस तरह से चुनावों के दौरान हिंसा का तांडव हुआ—इसके लिये कौन जिम्मेदार है? हालांकि इसके पूर्व भी पंचायत चुनाव के दौरान भयंकर हिंसा का तांडव हुआ था, उस समय भी तृणमूल कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने विरोधियों के नामांकन फार्म

हिंसा : लोकतंत्र के

भी भरने नहीं दिये। उसके लिये भी अदालत की शरण लेनी पड़ी थी। तृणमूल पर हिंसा का आरोप बीजेपी ने ही नहीं वरन् कांग्रेस, वाममोर्चा सहित अन्यान्य स्थानीय वर्ग द्वारा भी लगाये गये थे। पंचायत चुनाव के दौरान 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद 24 परगना दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, बघेवान, नदिया और दक्षिणी दिनाजपुर जिलों में हिंसक वारदातें घटी थीं एवं दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो गयी थीं। इस हिंसक वारदातों के चलते तृणमूल कांग्रेस के एक तिहाई ही सरकार के दौरान क्यों हो रहा है? सारा देश हैरान है। गत दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान जो हिंसा का स्वरूप देखा गया, वह तो अभूतपूर्व था। उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की गतिविधियां कैसे सम्भव हैं? टीएमसी के गुंडों ने मोदी—शाह के पोस्टरों को फाड़ा। मोटर साईकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। हद तो तब हो गयी जब तृणमूल कांग्रेस ये हिंसक कार्यकर्ता और समर्थक अध्यक्ष शाह पर झाँड़ों के डंडे और बोटलें फेंकने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह शाह को संरक्षण दिया। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा भी कि केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान पश्चिम बंगाल में तैनात नहीं होते मैं बचकर वापिस नहीं आ पाता।

पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और कानून व व्यवस्था को आधार पहुंचाने वाले अराजक तत्वों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया। ममता बनर्जी स्वयं सार्वजनिक रूप से कह रहीं हैं कि वे नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। उन्हें देश से निकाल दिया जाय से प्रभावित होकर तृणमूल के गुंडों ने ऐसी ही कानून और संविधान विरोधी बातें करती हैं। इसी से 10वीं सदी के समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ी और उसके साक्ष्य मिटाये। इससे उत्साहित कार्यकर्ताओं ने साक्ष्य मिटाये। इसके पूर्व भी नारद और शारदा चिटफंड घोटालों के योजनापूर्वक साक्ष्य मिटाये गये थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिये गये भाजपा अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं का हेलीकाप्टर उत्तरने की अनुमति नहीं दी गयी। कभी प्रधानमंत्री को गालियाँ दी जाती

लिये रवतरनाक संकेत

हैं, कभी, गुंडा कहा जाता है—ऐसे गहिर्त व्यवहार क्या संविधान की गरिमा अक्षुण्ण रह पायेगी?

पं. बंगाल का इतिहास हिंसा की घटनाओं से भरा हुआ है। सन् 1977 से सन् 1996 तक पं. बंगाल में हुयी राजनैतिक हिंसा में 28 हजार लोग हिंसा के शिकार हुये। इस चुनाव में पं. बंगाल की राजनैतिक हिंसा की छाया देश के लिये अत्यधिक चिन्ताजनक है।

विपक्ष में रहते यही ममता बनर्जी पूर्व वामपंथी शासन पर हिंसा करने के जी तोड़ आरोप लगाती रहीं हैं, अब वही सब कुछ उनकी ही सरकार के दौरान क्यों हो रहा है? सारा देश हैरान है। गत दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान जो हिंसा का स्वरूप देखा गया, वह तो अभूतपूर्व था। उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की गतिविधियां कैसे सम्भव हैं? टीएमसी के गुंडों ने मोदी—शाह के पोस्टरों को फाड़ा। मोटर साईकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। हद तो तब हो गयी जब तृणमूल कांग्रेस ये हिंसक कार्यकर्ता और समर्थक अध्यक्ष शाह पर झाँड़ों के डंडे और बोटलें फेंकने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह शाह को संरक्षण दिया। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में कहा भी कि केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवान पश्चिम बंगाल में तैनात नहीं होते मैं बचकर वापिस नहीं आ पाता।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सब तरह के हथकंडे अपना कर सकता मैं बने रहना चाहती है। भाजपा के बढ़ती लोकप्रियता से उनके पैरों की जमीन खिसकने लगी है। ऐसी हिंसक घटनायें लोकतंत्र के लिये खतरनाक संकेत की ओर इशारा कर रही है।

लोकसभा चुनाव के दौरान ममता सरकार ने सभी चरणों में हिंसा, राजनैतिक हत्यायें, बूथ कब्जा और बमबाजी की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुयी है। लोगों में भय कायम करने के लिये सिलसिलेबार तरीके से हत्यायें की गईं। भाजपा के ही 60 से अधिक कार्यकर्ताओं का हत्यायें हुयीं हैं।

प्रशासनिक तौर पर भी ज्यादितियाँ होती जा रही हैं। सन् 2018 में प्रदेश में पंचायत चुनाव में

-डॉ. किशन कछवाहा

भाजपा के विजयी उम्मीदवारों को आज तक प्रशासन की तरफ से कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। जहां पंचायत में भाजपा बहुमत में थी, वहां आज तक पंचायत बोर्ड का गठन नहीं हुआ।

आज स्थिति यह है कि गुंडागर्दी, लोकतंत्र की हत्या, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने और जनता को बेवकूफ बनाने में भाकपा या वाममोर्चा से तृणमूल कांग्रेस चार कदम आगे है। बंगाल में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। महिलाओं, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनायें होती हैं, लेकिन उनका गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जाता। पुलिस भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह कार्य करती नजर आती है। पुलिस थानों में 'रूल ऑफ लॉ' नाम की कोई चीज नहीं दिखती। छोटे-छोटे से बच्चों से खुले आम बम बनवाये जाते हैं। उनके माता-पिता डर के कारण अपना मुँह नहीं खोल सकते। वे जानते हैं कि अगर वे कुछ बोलेंगे तो पता नहीं किस आरोप में जेल भेज दिया जायें।

पश्चिम बंगाल में बांगलादेशी घुसपैठियों की भरमार है और राज्य सरकार उनके संरक्षण और खुशामद में लगी रहती है। इसलिये ये घुसपैठिये तृणमूल के वोट बैंक हैं। इनके राशन कार्ड भी बनवा दिये गये हैं, मतदाता सूचियों में भी नाम लिखा दिये गये हैं। बंगाल में केवल लोकतंत्र की ही नहीं, वरन् लोगों के विश्वास पर भी भारी आधात हुआ है।

बंगाल पर भी मीडिया का दोहरा चरित्र बना हुआ है। बात—बात पर 'लोकतंत्र की हत्या' का राग अलापने वाले पत्रकार बंगाल के घटनाक्रम पर मौन साधे हुये हैं। आजादी के बाद बंगाल में इतनी हिन्दू विरोधी सरकार नहीं आयी। जिहादी ताकतों को बंगाल की राजनीति पर दबदबा है। ममता जी ने ऐसे तत्वों को मंत्री बनाया है, जो खुले आम कोलकाता को 'मिनी पाकिस्तान' बोलते हैं।



मोदी शासन की योजनाएं गरीबों तक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्रवाद है देश के 130 करोड़ जनता को सुरक्षा देना। बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं के माध्यम से गरीब तक, किसान तक, नौजवानों तक, महिलाओं तक लाभ पहुंचाना।

जिन लोगों ने अब तक सत्ता में रहते हुये सदैव बांटने की विभाजन की राजनीति की है, जाति, मत, मजहब के आधार पर विभाजन किया है और बाद में जब जब उन्हें सत्ता का सुख मिला तब तब केवल अपने और अपने परिवार के लिये ही बैर्झमानी की सभी सीमाओं को पार करते हुये, भ्रष्टाचार की सभी सीमाओं को लांघते हुये धन—सम्पत्ति अर्जित की। ऐसे लोग जो विकास से नफरत करते रहे हैं, विभाजन की राजनीति करते रहे हैं, उन्हें यह बात कैसे अच्छी लग सकती है कि मोदी जी किसी गरीब को मकान दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं, गरीब महिला को गैस का 'कनेक्शन' दे रहे हैं, किसी गरीब को 'शौचालय' की व्यवस्था करा रहे हैं। जब मोदीजी किसी किसान को प्रतिवर्ष बीज-खाद की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना लागू करते हुये उनकी आर्थिक मजबूती के लिये कार्य करते हैं। देश के पचास करोड़ लोगों का पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क किया जा रहा है—विभाजन की मानसिकता से ग्रस्त लोग इन बातों को कैसे पसन्द कर सकते हैं? इन सब गरीबों की सुविधा आओं पर भी उनकी बौखलाहट देखने लायक होती है। उन्हें विकास और राष्ट्रहित के मुद्दे कैसे अच्छे लगेंगे?

सच के साथ विवलवाद

राहुल गांधी ने चुनावी रैलियों में दावा किया है कि नरेन्द्र मोदी ने 15 बड़े उद्योगपतियों के बैंक ऋण माफ किये हैं। सच यह है कि सार्वजनिक बैंकों में बड़े कर्जदार उद्योगपति और बड़ी कम्पनियाँ ही हैं। डिफल्टर में उनके नाम ही हैं। पर सरकार के पास क्या उनके कर्जों को माफ करने का अधिकार है? क्या उनके कर्जों को 'बेवाफ़' किया गया है?

चुनावी रैलियों में इसी झूठ को बार—बार कहा गया है कि उद्योगपतियों के कर्ज माफ किये जा सकते हैं, तो किसानों के कर्ज माफ करने में क्या दिक्कत है?

सत्ताधीदों की भारी कुलों

—कोको द्वीप को बर्मा को भेंट देना। बाद में बर्मा ने इसे चीन को सौंप दिया। आज चीन कोको द्वीप से हमारी निगरानी करता है।

—मणिपुर की काबों घाटी को बर्मा को सौंपना। इसका क्षेत्रफल 7000 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्र कुछ कश्मीर से अधिक रमणीय है। बाद में बर्मा ने इसका कुछ हिस्सा चीन को सौंप दिया, जो हमारे सामरिक हितों के विरुद्ध जाता है।

—नेपाल के राजा त्रिभुवन विक्रम शाह का वह प्रस्ताव ठुकराना जिसमें उन्होंने नेपाल का भारत के साथ विलय प्रस्तावित किया था। आज नेपाल भारत विरोधी नारों और चीन की दखलांदाजी का अड़ा बना हुआ है।

—संयुक्त राष्ट्र में भारत को रक्षा समिति की स्थाई सदस्यता का प्रस्ताव ठुकराना। आज चीन सुरक्षा समिति का सदस्य है, और पाकिस्तान की हर उस बात पर पैरी थपथपा रहा है जो पाकिस्तान हमारे विरुद्ध करता है। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव को खारिज करना इसका एक उदाहरण है।

—चीन के साथ हस्ताक्षरित पंचशील समझौते में तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकारना। 1954 में हस्ताक्षरित इस समझौते के बाद चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण का रास्ता तिब्बत से होकर आया था।

—चीनी आक्रमण में अपमानजनक पराजय के बाद पराजय के कारणों और जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए गठित जनरल हेंडर्सन और ब्रिगेडियर भगत की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करना। चीन ने भारत का 14000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दबा लिया।

राष्ट्रवाद - भारत और भारतीयता

समाजवादियों और वामपंथियों का आंबेडकरवाद पर कभी भी एकाधिकार नहीं रहा है। इन दोनों विचारधाराओं ने लोगों को केवल भरमाया और बरगलाया है। इन लोगों ने भारत के सामाजिक इतिहास की व्याख्या कपटपूर्ण तरीके से की और समाज में वैमनस्य और तनाव पैदा किया। इसका दुष्परिणाम आज भी भारतीय समाज भुगत रहा है। डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवनकाल में वामपंथियों से सदैव एक सुरक्षित दूरी बना कर रखी। इन लोगों की करतूत को उन्होंने 'आराजकता का व्याकरण' कहा था।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 1938 में मनमाड़ रेलवे वर्कर्स कॉन्फेन्स में कहा था, "मुझे धर्म के प्रति युवाओं की बढ़ती उदासीनता को देखकर पीड़ा होती है। धर्म कोई अफीम नहीं है, जैस कि कुछ लोग मानते हैं। मुझमें जो कुछ भी अच्छा है यो मेरी शिक्षा से समाज का जो भी भला होता है, मैं उसका श्रेय अपने अंदर की धार्मिक भावनाओं को देता हूँ।"

यह कथन उन लोगों को चौंकाने वाला लग सकता है, जो आंबेडकर को पढ़े बिना आंबेडकरवाद का अनुसरण करते हैं। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि भारत के वामपंथी आंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं ने उन्हें धर्म—विरोधी के रूप में चित्रित कर

रखा है। जबकि आंबेडकर कार्ल मार्क्स जैसे नहीं थे। मार्क्स का यह कथन प्रसिद्ध है, 'धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है।' परन्तु आंबेडकर धर्म को समाज के आवश्यक घटक के रूप में देखते थे और इसलिए एक व्यक्ति बिना किसी विरोधाभास के एक ही साथ तीनों हो सकता है—एक हिंदू, एक राष्ट्रवादी और एक आंबेडकरवादी। यह बात उस वैचारिक कथानक के बिलकुल विपरीत है, जो एक झूठे विचार की वकालत करता है कि आंबेडकर के विचार और राष्ट्रवाद एक साथ नहीं रह सकते। आंबेडकर ने धर्म को बहुत महत्व दिया था, और यह बात उनकी विरासत पर एकाधिकार की हसरत रखने वाले वामपंथियों को रास नहीं आएगी। शांतिपूर्ण विरोध के जरिए दलित वर्ग के मंदिर प्रवेश की हिमायत करना आंबेडकर की विशेषता थी। तमिलनाडु में पेरियार के अनुयायी बड़ी अस्पष्टता की स्थिति निर्मित करते हैं जबकि एक तरफ तो वे हिन्दू प्रतिष्ठानों के तर्कहीन उन्मूलन का समर्थन करते हैं, पर साथ ही आंबेडकरवादी होने का दावा भी करते हैं। अपने जीवन के निर्णयक चरण में डॉ. आंबेडकर कन्वर्जन के सवाल से जूझ रहे थे। धर्मशास्त्र संबंधी गहन विद्वता के मद्देनजर, वे भारतीय मत—पंथों की ताकतों और कमजोरियों को लेकर आश्वस्त थे। कोई ठोक कारण जरूर रहा होगा कि बहुत सोच—विचार और

संघर्ष का सामना — आंबेडकर के विचार जाति संघर्ष की उपज थे। उनका जीवन इस निरंतर संघर्ष का प्रमाण है। पर जाति के खिलाफ अपने वैचारिक रूख के कारण उन्हें पूर्वाग्रहों को भी सामना करना पड़ा, यहां तक कि साम्यवादियों से भी।

भारतीय कन्यनिस्ट पार्टी (भाकपा) की केंद्रीय कमेटी ने 1952 में आंबेडकर की अगुआई वाले संगठन अनुसूचित जाति महासंघ (एससीएफ) के खिलाफ एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था, "आर्थिक बेहतरी और सामाजिक बराबरी की आकाश्वानी को उनके साम्राज्य—समर्थक और अवसरवादी नेता डॉ. आंबेडकर ने एक विकृत और अवरोधकारी रूप दे दिया है, उनको एससीएफ में साम्प्रदायिक और जाति—विरोधी हिन्दुओं के तौर पर संगठित किया है।" चुनाव के साथ भयांदोहन भी आता है—आरक्षण,

हिन्दूत्व और सामाजिक न्याय के लिए संवैधानिक गारंटीयों को लेकर। पर यह कंग्रेस पार्टी ही है जिसने स्वतंत्रता सेनानी और दलितों के सबसे बड़े नेताओं में से एक बाबू जगजीवन राम को कभी भी पार्टी या सरकार में सम्मानजनक पद नहीं दिया। आखिरकार, जगजीवन राम को पार्टी से अलग होना पड़ा था। वे जनता पार्टी में शामिल हो गए और अंततः जनसंघ समर्थित जनता पार्टी सरकार में उप-प्रधानमंत्री बने। एक दलित नेता के रूप में बाबू जगजीवन राम वामपंथियों के कथानक में फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि वे एक समर्पित हिन्दू थे। जिन्होंने हिन्दू धर्म में रहते हुए इसकी बुराइयों का मुकाबला करने के विकल्प को चुना। कांशीराम और मायावती ने भी किसी अन्य पंथ को नहीं अपनाया। दलित आरथावान हिन्दू होते हैं। परन्तु भारतीय राजनीतिक इतिहास में किसी राष्ट्रीय दल की कमान संभालने वाले पहले दलित बंगाल लक्षण बने, जो 2000 से 2001 तक भाजपा के अध्यक्ष रहे थे। भाजपा की ही अगुआई वाली राजग सरकार के कार्यकाल में एक दलित जीएससी बालयोगी लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और एक बार फिर भाजपा ने ही रामनाथ कोविंद के रूप में भारत को पहला दलित राष्ट्रपति दिया। (भारत शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर)

पृष्ठ क्रमांक 3 का शेष भाग

के दसवें राष्ट्रपति के आर नारायणन एक दलित-ईसाई थे।) इस समय सर्वाधिक दलित सांसद भाजपा से ही है। डॉ. अंबेडकर ने लिखा था, 'जातीय रूप से हर व्यक्ति परस्पर भिन्न है। एक रूपता का आधार तो सांस्कृतिक एकता है।' इस बात को मानते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि सांस्कृतिक एकता में कोई भी देश भारतीय प्रायद्वीप की बराबरी नहीं कर सकता। इस संदर्भ में संस्कृति की बारीकी से व्याख्या करने पर हमारी कालातीत सभ्यतामूलक अंतःचेतना सामने आती

है जो कि युगों की कसौटी पर खरी उत्तरी है। अंबेडकरवाद की बुनियाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति में है। यह भी कहा जाता है कि अंबेडकर संस्कृत को भारत की अधिकाधिक भाषा बनाने के प्रस्ताव के पक्ष में थे। वे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का हवाला देते रहते थे। मौजूदा वक्त डॉ. अंबेडकर के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं के ईमानदारी से विश्लेषण का है। उनकी विरासत को लेकर एक नया, निष्पक्ष और रचनात्मक सार्वजनिक संवाद शुरू होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति

वे जनसंख्या का सम्पूर्ण स्थानांतरण करने के पक्ष में थे। साथ ही उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की कल्पना की थी, जिसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूरे मनोयोग से सम्पादित करते दिख रहे हैं। डॉ. अंबेडकर और मोदी के विचारों में एक बड़ी समानता है। डॉ. अंबेडकर ने सामाजिक समरसता का विकास कर उसे चाहा और करुणा के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी भी यही कर रहे हैं।

-प्रो. संजय पासवान

असम में घुसपैठियों ने फिर दुंगा किया
बांग्लादेश घुसपैठिये असम में कानून-व्यवस्था को लगातार चुनौती दे रहे हैं। दक्षिणी असम की बराक घाटी में स्थित हेलाकाण्डी जिला बांग्लादेश से लगा हुआ है। इसलिये सेक्युलर सरकारों के काल में इस जिले में भी घुसपैठिये बड़ी संख्या में बांग्लादेश से घुस आये। ये घुसपैठिये वहां के लोगों को शान्ति से नहीं जीने दे रहे। गत 10मई को शुक्रवार था और जुमे की नमाज के लिये घुसपैठियों ने जिला मुख्यालय हेलाकाण्डी कर्बे की सारी मुख्य सड़कें रोक लीं। अन्य लोगों ने जब इस पर आपत्ति की तो नमाजी मार-पीट पर उत्तर आये। जुमे की पवित्र नमाज अदा करने के स्थान पर घुसपैठियों ने तोड़-फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होते देख प्रशासन ने सेना बुला ली और कर्फ्यू लगा दिया। हिंसा में एक व्यक्ति मारा गया तथा तीन पुलिस कर्मियों सहित 16 लोग घायल हो गये।

इस बाट पचास मृत्युमान क्लोबटर बनंगे

दिल्ली, है दराबाद, लखनऊ, जलंधर, भोपाल आदि महानगरों से उर्दू के कई दैनिक एवं साप्ताहिक समाचार-पत्र निकलते हैं। इनमें दिल्ली के दैनिक इंकलाब, अखबार मशरिक, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दैनिक सहाफत, जलंधर से प्रकाशित दैनिक प्रताप, हैदराबाद के दैनिक मुंसिफ, दैनिक सियासत और दैनिक इत्तेमाद प्रमुख हैं। इन सभी समाचार-पत्रों में मुस्लिम समाज के देश-विदेश के समाचार या राष्ट्रवादी दलों, संगठनों और सरकारों की आलोचना प्रकाशित होती है। पिछले दिनों संघ लोक सेवा आयोग के भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के परिणाम आये थे। इस वर्ष के 990 सफल नौजवानों में से 131 मुसलमान

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं-1, म.नं. 1692, नवआर्दश कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान-विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआर्दश कालोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश। संपादक- डॉ. किशन कछवाहा-

हैं। उर्दू अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है।

दैनिक इंकलाब, हिन्दुस्तान एक्सप्रेस(दिल्ली), दैनिक हमारा समाज (दिल्ली) आदि समाचार-पत्रों ने लिखा है कि 131 सफल मुस्लिम नौजवानों में से 52 कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक बनेंगे। शेष प्रतियोगी सहायक सेवाओं के लिये चुने गये हैं। उक्त समाचार-पत्रों में ये भी बताया गया है कि दिल्ली सहित अन्य प्रमुख नगरों में कई संगठन निःशुल्क प्रशासनिक सेवाओं में सफलता का प्रशिक्षण देते हैं। **जकात फाउण्डेशन ऑफ इंडिया** में कोचिंग ले रहे 26 छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 'जामिया मिलिया इस्लामिया' में निःशुल्क कोचिंग लेने वाले 43 प्रतियोगी सफल हो गये हैं जो मुस्लिम नौजवानों को बिना पैसा लिये प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

उद्धेष्यपूर्ण पञ्चारिता का प्रतीक था उद्घाटन मार्टण्ड

स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दी पत्रकारिता का योगदान अतुलनीय रहा है। सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण, राजनीतिक चेतना और दमन का प्रतिकार इन्हीं मूल उद्देश्यों को लेकर हिन्दी पत्रकारिता की शुरूआत हुई। हिन्दी में 'उदन्त मार्टण्ड'(उगता हुआ सूर्य)नाम से पहला समाचार पत्र 30मई 1826 को निकाला गया था। इसीलिए 30मई का दिन हर साल 'हिन्दी पत्रकारिता दिवस' के रूप मनाया जाता है। पं. जुगल किशोर शुक्ल ने उदन्त मार्टण्ड को कोलकाता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया था। वे स्वयं ही इसके प्रकाशक और संपादक थे।

पं. जुगल किशोर शुक्ल वकील थे और कानपुर में वकालत करते थे। उस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत में पैर पसार लिये

पर डॉ. अंबेडकर की पकड़, चीन को लेकर उनकी चेतावनी और अर्थशास्त्र में उनकी असाधारण विद्वता को मौजूदा पीढ़ी के सामने लाया जाना चाहिए। डॉ. अंबेडकर को मात्र सामाजिक न्याय का योद्धा और एक विशिष्ट दलित नेता के रूप में देखना उनकी विरासत के साथ बड़ा अन्याय होगा। डॉ. अंबेडकर ने सविधान सभा में हिन्दू मान्यताओं एवं देशज दर्शन के प्रतिष्ठान एवं प्रतिपादन हेतु कई संदर्भ दिए। उन्होंने संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी।

थे। पं. जी को लगा कि इन फिरागियों की वास्तविकता जनता को बताई जानी चाहिए। जन-जागरण को जरूरी मानते हुए ही उन्होंने हिंदी में समाचार-पत्र निकालने का विचार किया। तब भी भारत के अधिकांश लोग उस समय बोल-चाल में हिंदी का ही प्रयोग करते थे। फिर भी जो समाचार पत्र उस समय निकलते थे वे अंग्रेजी और उर्दू या बांग्ला भाषा में निकलते थे। यही कारण था कि पं. जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी में समाचार-पत्र प्रकाशित करने का निर्णय किया। इसके लिये उन्होंने कोलकाता को अपनी कर्मस्थली बनाया। परतंत्र भारत की राजधानी उन दिनों कोलकाता थी। राजधानी में जन-जागरण का शांखनाद करने के लिए उन्होंने कोलकाता के बड़ाबाजार रिथिति कालूटोला की 37, अमरतल्ला लेन से इस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। यह प्रत्येक मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। इस समाचार पत्र में खड़ी बोली और ब्रज भाषा के मिले-जुले शब्दों का प्रयोग किया जाता था तथा इसकी लिपि देवनागरी थी।

उस समय में 'उदन्त मार्टण्ड' एक साहसिक एवं क्रांतिकारी प्रयोग था। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के पहले अंक की 500 प्रतियां छपी। कोलकाता में हिंदी भाषी पाठकों की कमी के कारण इसे अधिक पाठक नहीं मिल सके। हिंदी भाषी राज्यों के पाठकों को यह समाचार पत्र डाक द्वारा भेजना पड़ता था जो कि आर्थिक रूप से महंगा सौदा था।

पं. जुगल किशोर ने कंपनी के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवाग चौक, जबलपुर मध्यप्रदेश। संपादक- डॉ. किशन कछवाहा-

सरकार से बहुत अनुरोध किया कि वे डाक दरों में कुछ रियायत दे दें जिससे हिंदी भाषी प्रदेशों के पाठकों तक समाचार पत्र भेजा जा सके। जबकि उस समय मिशनरियों के अखबारों को रियायती मूल्य पर प्रेषण की सुविधा प्राप्त थी। यही नहीं अंग्रेज सरकार इसके प्रकाशन में जमकर अड़चने भी डालने लगी। अंग्रेजी सरकार ने सरकारी विभागों में 'उदन्त मार्टण्ड' खरीदने पर भी रोक लगा दी। पुलिस जब चाहे सम्पादकीय कार्यालय तथा छापेखाने की तलाशी लेती रहती थी। फिर भी डेढ़ साल तक पं. जुगल किशोर शुक्ल हिम्मत के साथ इसे चलाते रहे।

पैसों की तंगी और सरकारी बाधाओं के कारण 'उदन्त मार्टण्ड' का प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हो सका। आखिरकार 4 दिसम्बर 1827 को इसका प्रकाशन हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उदन्त मार्टण्ड के आखिरी अंक में शुक्ल जी ने बहुत ही मार्मिक अपील के साथ पाठकों को यह दुखदायी सूचना दी कि—
आज दिवस लौ उग चुकौ मार्टण्ड उदन्त।

अस्ताचल का जात है दिनकर दिन अब अंत।।

सूचना

कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव महाकोशल संदेश के ई-मेल एवं व्हाट्स-अप नं 9713223539 पर भेजें।

— सम्पादक

Email:- vskjbp@gmail.com

kishan_kachhwaha@rediffmail.com